संख्या [redacted]-11(71)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 24 मई, 1982

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में किराया क्रय पद्धति पर आवंटन हेतु दुकानों का निर्माण।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या—8866/26—3—81—11—(71)/81, दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र के लिये भवनों को निर्माण कराकर उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने हेतु निम्नलिखित 3 रूप-पत्र, जो संलग्न है, निर्धारित किये गये हैं:—

(1) दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र।

(2) आवंटन आदेश का कार्यालय-ज्ञाप।

(3) आवंटन के सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला विलेख।

विलख 3 प्रतियों में निष्पादित किया जायेगा। मूल विलेख आवंटी को दे दिया जायेगा और उसकी द्वितीय प्रति जिला प्रबन्धक के कार्यालय में सुरक्षित रक्खी जायेगी तथा तीसरी प्रति प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ को भेज दी जायेगी। विलेख की प्रत्येक प्रति के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर जिला प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित करके मोहर लगा दी जायेगी।

2—इन सभी प्रपत्रों की सुस्पष्ट प्रतियां साइक्लोस्टाइल कराकर पर्याप्त संख्या में तैयार करा ली जाए और आवंटी को उपयोग के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

3—अनुरोध है कि जैसे-जैसे दुकानों का निर्माण पूरा हो, उनका आवंटन पात्र व्यक्तियों को यथा-सम्भव शीघ्र कर दिया जाए। इसके लिये यह आवश्यक है कि दुकानों का निर्माण प्रारम्भ होते ही आवेदन-पत्र मांगने तथा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। आवंटन करने के पूर्व आवश्यक जांच के उपरान्त यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि:—

(1) प्रार्थी अनुसूचित जाति का है।

(2) प्रार्थी उसी चयनित विकास खण्ड का स्थायी निवासी है जिसके धन से दुकानों का निर्माण किया गया है।

(3) प्रार्थी के परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु० 3,500 से अधिक नहीं है।

(4) प्रार्थी के पास उद्योग/व्यवसाय चलाने योग्य कोई दूकान या मकान नहीं है।

(5) प्रार्थी जो उद्योग/व्यवसाय चला रहा है अथवा जिसके चलाने के लिये उसे किसी बैंकेवल योजना में आर्थिक सहायता दी गई है उसके चलाने के लिये प्रश्नगत दूकान का आवंटन आवश्यक है।

4--कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दुकान-समूह के ऊपर मध्य में लोहे की चादर का एक बड़ा साइन-बोर्ड मजबूती से लगा दिया जाए जिस पर काली चमकदार पृष्ठभूमि में सफेद रंग के बड़े और सुन्दर अक्षरों में निम्नलिखित लिखा हो:--

माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिये निर्मित उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र।
निर्माण वर्ष.....
हरिजन एवं समाज
कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ0 सं0-6569(1)/26-3-82-11(71)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0), उत्तर प्रदेश।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(5) निजी सचिव, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव